भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 157B/2017-18

दुशासन महतो **बनाम** बिना महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30.8.18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 702 दिनांक 04.08.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 157 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता दुशासन महतो पिता स्व0 गोपाल महतो ग्राम–महाराजगंज, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता बिना महतो पति श्री कृष्णा महतो, ग्राम–चांगुवा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला –खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
महाराजगंज	182	15	71	0.10½एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता गोपाल महतो के नाम से जमाबंदी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के पास 3.75 एकड़ भूमि है जिसमें से 0.10½ एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.64½ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.10½ एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

30/8/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner